संख्या- 48/2015/1083/30-3-15-6बी/2014

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 10 जून, 2015

विषय- सड़क सुरक्षा हेतु ब्लैक स्पॉट्स में सुधार हेतु नामित कार्यदायी संस्था के स्थान पर लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कार्य हेतु आवंटित धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-340 सड़क सुरक्षा/2015-45स0सु0/2013, दिनॉक 08-05-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सड़क सुरक्षा हेतु जनपद-अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, कुशीनगर, एटा एवं आजमगढ़ में ब्लैक स्पॉट्स के सुधार हेतु शासनादेश संख्या-27/573/30-3-15-6बी/2014, दिनॉक 13-03-2015 द्वारा नामित कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 के स्थान पर प्रश्नगत कार्य हेतु विशेषज्ञ संस्था लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए शासनादेश संख्या-26/572/30-3-15-6बी/2014, दिनॉक 13-03-2015 द्वारा उपरोक्त जनपदों में ब्लैक स्पॉट्स के सुधार हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 177.85 लाख (रू0 एक करोड़ सतहत्तर लाख पचासी हजार मात्र) को कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 से लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- तदनुसार शासनादेश संख्या-26/572/30-3-15-6बी/2014, दिनॉक 13-03-2015 तथा शासनादेश संख्या-27/573/30-3-15-6बी/2014, दिनॉक 13-03-2015 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। उक्त शासनादेश में निहित अन्य शर्तें/निर्देश यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 48/2015/1083(1)/30-3-2015, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8- कार्यदायी संस्था-लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश। (द्वारा परिवहन आयुक्त)
9- उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 (द्वारा परिवहन आयुक्त) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ब्लैक स्पाट्स के सुधार हेतु शासनादेश संख्या-26/572/30-3-15-6बी/2014, दिनॉक 13-03-2015 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 177.85 लाख कार्यदायी संस्था-लोक निर्माण विभाग को तत्काल अन्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.upnic.in